



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक—बु0वि0/एके0/2011/1920-21

दिनांक 27/7/11

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

विषय :- स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र सं0 - बु0वि0/एके0/2011/1483-94 के विन्दु सं0- 05 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश सर्व प्रथम किये जाये जिनका कोई समयान्तराल न हो अथवा एक वर्ष का समयान्तराल हो। इसके पश्चात यदि सीटें शेष रहती हैं तो उन पर एक वर्ष से अधिक समयान्तराल वाले अभ्यर्थियों के (Provisional) प्रवेश देते हुये उनकी विश्वविद्यालय से अनुमति हेतु सूची महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात ही सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रवेश मान्य होंगे। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अनुमति हेतु विश्वविद्यालय न भेजा जाये।

भवदीय
27/7/11
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
कुलसचिव